

09.10.19 आधिबन्ता वादी उप०। आ.पत्र 023R/CPC पर बहस सुनी गई। आधिबन्ता वादी द्वारा कहा गया की वादी उक्त प्रकरण में कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहता है बाद इसी स्टेटस पर खारिज फरमाया जावे।

चूंकि वादी स्वयं ही प्रकरण में आगे कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहता है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आ.पत्र 023R/CPC स्वीकार किया जाता है तथा बाद वादी इस स्टेटस पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रेक)
पल्लभनगर, जिला-उदयपुर (सज.)